न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 17 / 2021 (2021 / 27)

अपीलार्थीपक्ष

हडमानराम पटेल पुत्र स्व0 केवलराम, उम्र 33 वर्ष, निवासी नई आबादी, शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. प्रेमाराम पुत्र वीरमाराम
2. मोती पुत्री वीरमराम
3. कमलादेवी पुत्री वीरमराम
4. शांति देवी पुत्री वीरमराम
5. हेमी पत्नी सोनाराम
6. भल्लाराम पुत्र सोनाराम

जातियान पटेल, निवासीगण घरतार, शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

7. पूनमाराम पुत्र मानाराम, जाति पटेल, निवासी नई आबादी, शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. श्रीमती रूकमादेवी पत्नी स्व0 केवलराम, उम्र 67 वर्ष
9. हरिराम पटेल पुत्र केवलराम, उम्र 47 वर्ष
10. श्रीमती शांति देवी पत्नी धन्नाराम पटेल
11. धापू पुत्री धन्नाराम
12. लक्ष्मी पुत्री धन्नाराम
13. पूजा पुत्री धन्नाराम
14. सोनू पुत्री धन्नाराम
15. रामचन्द पुत्र धन्नाराम रेस्पोडेन्ट 12 से 15 जरिए कुदरती वली वादार्थ संरक्षक माता श्रीमती शांति देवी

सभी जातियान पटेल निवासीगण नई आबादी, शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

16. नारायण पुत्र सुखराम, जाति पटेल, निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।
18. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 4 ग्राम शिकारपुरा जो दिनांक 19.04.1956 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:55 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थिति</u> :–

1. अधिवक्ता श्री हरिसिंह कच्छावाह (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री अशोक पटेल (प्रत्यर्थी संख्या 01, 05 व 06)।

–: <u>आदेश</u> :– दिनांक :– 12.08.2022

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 4 ग्राम शिकारपुरा जो दिनांक 19.04.1956 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है। अपील पंजीबद्ध कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01, 05 व 06 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पटेल ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 01, 05 व 06 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का लिखित जवाब दिनांक 13.06.2022 को पेश किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 05.08.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 मानाराम पुत्र सुरा जाति पटेल निवासी शिकारपुरा के नाम से ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा नं0 59 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा 4 बिस्वांशी, खसरा नं0 76 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 121 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 135 रकबा 27 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 146 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 151 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 107 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। जिसके अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 17 स्व0 मानाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान् है जिनका उक्त जायदाद पर सैटलमेन्ट से कब्जा है। अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 7 से 17 मानाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान् पौत्र व पुत्र वधु है तथा रेस्पो0 संख्या 7 मानाराम का पुत्र है। मानाराम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की माता श्रीमती भिखी देवी के साथ नाता विवाह किया गया था। इससे पूर्व श्रीमती भिखी देवी का विवाह वगताराम के साथ हुआ था जिस विवाह से हिराराम व गोरणराम का जन्म हुआ तथा हिराराम के वारिसान् वीरमाराम व सोनाराम का भी देहान्त हो गया। वीरमाराम व सोनाराम के वारिसान् रेस्पो0 संख्या 1 से 6 हुए तथा हिराराम का भाई गोरणराम लाआलौद फौत हो गया। रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पिता वीरमाराम द्वारा रेस्पो0 संख्या 16 को जायदाद का बेचान किया गया इसलिए उसे मुकदमें में पक्षकार बनाया गया। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 से 6 स्व0 मानाराम के न तो जायज सन्तान है और न ही नाजायज सन्तान के वारिसान् है जिस कारण रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को स्व0 मानाराम की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हासिल नहीं है। श्रीमती भीखी देवी का देहान्त दिनांक 02.05.1961 को हो चुका है तथा मानाराम का देहान्त दिनांक 06.10.1977 को हो चुका है। इस प्रकार वगताराम के [illegible] मानाराम के वारिसान् नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण [illegible] नाम राजस्व रिकॉर्ड में बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:55 IST
Reason: SelfAttested

किसी दस्तावेज के तथा मानाराम के जीवित रहते उनका नाम हटाकर जो इन्द्राज गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से बिना क्षेत्राधिकार के इन्द्राज किया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में मानाराम का नाम गलत व गैर कानूनी रूप से हटाया गया क्योंकि मानाराम द्वारा कोई दस्तावेज निष्पादित ही नहीं किया गया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को 2013 में हुई जब अपीलान्ट द्वारा वाद पेश किया गया तथा अपीलान्ट को सभी दस्तावेज प्राप्त करने में तथा उक्त विवादित नामान्तरकरण प्राप्त करने में तथा अन्य न्यायालय में कार्यवाही किये जाने के कारण अपील पेश करने में देरी हुई है तथा नामान्तरकरण की जानकारी के बाद जो भी समय गुजरा है वह न्यायालय की कार्यवाहियों तथा अपीलान्ट को उचित सलाह नहीं मिलने के आधार पर गुजरा है तथा उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। इससे पूर्व अपीलान्ट को हमेशा यही जानकारी रही कि अपीलान्ट के पूर्वज मानाराम द्वारा दस्तावेज निष्पादित किया गया होगा जिसके आधार पर वगताराम के वारिसानों का नाम दर्ज हुआ लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि मानाराम द्वारा कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया इसके बावजूद भी हीरा, गोरण, केवल व पूना का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण शुरू से ही बिना क्षेत्राधिकार व गैर कानूनी होने से शून्य है। अपीलान्ट के दादा स्व0 मानाराम द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज हीरा, गोरण, केवल, पूना के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया था इसके बावजूद भी राजस्व अधिकारी ने बिना किसी दस्तावेज के आधार जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि नया नामान्तरकरण तभी खोला जा सकता है जब खातेदार का देहान्त हो जाए या जायदाद का हस्तानान्तरण किया जावे हस्तगत प्रकरण में न तो मानाराम का देहान्त हुआ और ना ही भूमि का हस्तानान्तरण किया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण खोल कर स्वीकृत कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के समर्थन में RRD 1992 PAGE NO 118 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर ध्यान दिलाते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी संख्या 1, 5 व 6 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का जवाब पेश कर बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 19.04.19[illegible] लगभग 64–65 वर्ष पहले स्वीकृत किया गया गया था। प्रार्थी 65 वर्ष देरी से अपील प्रस्तुत करने का समुचित कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:55 IST
Reason: SelfAttested

नही बता पाए ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ नही किया जा सकता हैं। प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से काबिले खारिज योग्य है।

स्व0 मानाराम व स्व0 भीखीदेवी के चार पुत्र हीरा, गोरण, केवल व पूना अपने–अपने हिस्से व खातेदारी की कृषि भूमियों पर सन् 1956 से बहैसियत काश्तकार काबिज हुए, चारों भाईयों ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों में से खेत खसरा संख्या 76 को नारायणराम को बेचान किया, सन् 1978 में चारों भाईयों ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमियों का बंटवाड़ा किया और बंटवाड़े अनुसार अपने–अपने हिस्से में आई कृषि भूमियों पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हुए। अपीलान्ट भूमि को हड़प करने की बद्नियती से उज्र एतराज कर रहा है। अपीलान्ट का उत्तरदाता/रेस्पोडेन्ट के हक व हिस्से की भूमि में किसी तरह का कब्जा काश्त नहीं है। नामान्तरकरण अपील एक सरसरी कार्यवाही है इसके जरिये न तो कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है और न उसे कब्जा मिल सकता है। इस अपील के जरिये रेस्पोडेन्ट के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने जवाब में आगे बतलाया कि अपीलान्ट को उक्त विवादित नामान्तरकरण की जानकारी सन् 2013 में हो जाने के पश्चात् भी अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण की अपील सन् 2021 में की। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण जो 65 वर्ष पहले स्वीकृत किया गया तथा 8 साल पहले जानकारी होने के पश्चात् भी उसकी अपील नहीं की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में स्वीकार किया गया है कि उसे विवादित नामान्तरकरण की जानकारी सन् 2013 में हो गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 दिन, 4 साल व 21 दिन की देरी भी माफ नहीं की गई।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने जवाब में आगे बतलाया कि विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्तों व धारा 3 म्याद के अधिनियम के अनुसार न्यायालय का प्रथम दायित्व है कि उनके समक्ष कोई अपील या निगरानी प्रस्तुत होने पर वे सर्वप्रथम इस तथ्य की जांच करे कि उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाली अपील या निगरानी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत हुई है अथवा नहीं। बहस के समर्थन में 2009 DNJ RAJ 215,. 2010 (1) WLC (SC) 379] 2002 (3) CCC 69, AIR 2000 DELHI 336 2009 (5) SCC 121, AIR 2010 SC 3043, AIR 1996 RAJ. 28 2009 CDR 17 SC, 2004 (2) CCC 187 DB तथा AIR 1995 RAJ. 47 पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर ध्यान दिलाते हुए अपील मियाद बाहर होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलान्ट ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी सन् 2013 में हुई जब अपीलान्ट द्वारा वाद पेश किया गया। अतः अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी सन् 2013 में होते हुए भी सन् 2021 में लगभग 8 साल बाद अपील की है। अपीलान्ट ने 8 साल विलम्ब बाबत् अपील पेश करने का प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कोई ठोस कारण नहीं बतलाया है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:55 IST
Reason: SelfAttested

बाबत् वाद चल रहा है चूंकि नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिससे किसी के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है तथा अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु सन्तोषप्रद कारण उल्लेखित नहीं किये है इसलिए अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त मौजूदा प्रकरण में चस्पा होते है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया हैं, मौजूदा मामले में चस्पा नही होते हैं और ऐसी स्थिति में म्याद कन्डोन किये जाने योग्य नही हैं। प्रार्थी / अपीलान्ट को नामान्तरणकरण की प्रारम्भ से जानकारी होने के कारण म्याद को कन्डोन करवाने के अधिकारी नही हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 12.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:55 IST
Reason: SelfAttested